आदेश की क्रम संख्या और तारीख	17-10-2015 आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, पूर्णियॉं

सी0सी0ए0 वाद संख्या-55/15

अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–3 के अंतर्गत

राज्य बनाम अवधेश मंडल

अवधेश मंडल, पे0 - अर्जून मंडल, सा0- भिट्ठा, थाना - भवानीपुर (अकबरपुर), जिला - पूर्णियाँ

आदेश

प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ के पत्रांक 2194/ सा0प्र0 दिनांक 09.10.15 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अपराधकर्मी **अवधेश मंडल, पे0 - अर्जून मंडल, सा0- भिट्ठा, थाना - भवानीपुर (अकबरपुर), जिला - पूर्णियाँ** के विरूद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अन्तर्गत निरूद्ध करने के संबंध में प्रारंभ की गयी है।

उपलब्ध प्रतिवेदन में कहा गया है कि कुख्यात अपराधकर्मी **अवधेश मंडल, पे0 - अर्जून मंडल, सा0- भिट्ठा, थाना - भवानीपुर (अकबरपुर), जिला - पूर्णियाँ** एक पेशेवर आदतन एवं कुख्यात अपराधकर्मी है। जो फैजान ग्रुप के सर्वे-सर्वा थे तथा ये लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी एवं आर्म्स एक्ट के विभिन्न काण्डों में जेल जा चूके है। जिस कारण से पूरे इलाके में उसका आतंक फैला है और लोक शान्ति के लिए खतरा बना हुआ है। गिरफ्तारी होने से शान्ति का माहौल बना था, परन्तु उक्त अपराधकर्मी वर्त्तमान में जमानत पर मुक्त है।

इसका अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है : -

1. रूपौली थाना कांड सं0- 68/01, दिनांक 22.08.01 अंकित नहीं धारा-147/148/149/353/307/414 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट में आरोपित।
2. भवानीपुर (अकबरपुर) थाना काण्ड सं0 19/02 दिनांक 18.07.02 धारा 386/364 भा0द0वि0 में आरोपित।
3. भवानीपुर (अकबरपुर) थाना काण्ड सं0 57/02 दिनांक 18.07.2002 धारा 147/ 148/ 149/ 341/ 323/ 504/ 376/ 511/ 452/ 380 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के आरोपित।
4. भवानीपुर (अकबरपुर) थाना काण्ड सं0 58/02 दिनांक 17.07.02 धारा 147/ 148/ 149/ 341/ 323/ 504/ 376/ 511/ 452/ 380 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट।
5. भवानीपुर (अकबरपुर) थाना काण्ड सं0 84/02 दिनांक 08.12.02 धारा 364 भा0द0वि0 में आरोपित।
6. भवानीपुर(अकबरपुर) थाना काण्ड सं0- 22/03, दिनांक 05.06.03, धारा-147/ 148/ 149/ 341/ 342/ 323/ 307/ 379/ 353/ भा0द0वि0 में आरोपित।
7. भवानीपुर (अकबरपुर) थाना काण्ड सं0 50/03 दिनांक 29.10.03 धारा

147/148/149/353/307 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के आरोपित।

8. रूपौली (अकबरपुर) थाना काण्ड सं0 55/03 दिनांक 09.05.03 धारा 147/148/149/379 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट में आरोपित।
9. भवानीपुर (अकबरपुर) थाना काण्ड सं0 31/2000 दिनांक 07.04.2000 धारा 353/307/414/34 भा0द0वि0 एवं 25 (1-बी)ए/26/27/35 आर्म्स एक्ट के आरोपित।
10. भवानीपुर (अकबरपुर) कांड सं0 83/2000 दिनांक 14.10.2000, धारा 147/148/149/380/436/448 भा0द0वि में आरोपित।
11. भवानीपुर (अकबरपुर) थाना कांड सं0 51/13 दिनांक 24.04.2013 धारा 364ए/302/201/120बी0/34 भा0दं0वि0 में आरोपित।

जमानत पर बाहर आने के बाद इस अपराधकर्मी के द्वारा आगामी विधान सभा निर्वाचन-2015 के अवसर पर मतदाताओं को डराने-धमकाने की बात सामने आयी है। इस बात की पूरी-पूरी आशंका है कि इन लोगों के विरूद्ध न्यायालय में कांड लंबित है उनमें गवाही देने के लिए वादी और साक्षीगण या तो डर से जायेंगे हीं नहीं और यदि जायेगे तो उसके विरूद्ध गवाही नहीं देंगे बल्कि अपना बयान बदल लेंगे।

वर्तमान में ये सभी लोग आगामी विधान सभा निर्वाचन-2015 के मद्देनजर सहयोगियों के मदद से थाना क्षेत्र में जनता को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए धमकी देने की बात प्रकाश में आयी है।

विपक्षी को सुना तथा उपलब्ध सभी कागजातों का अवलोकन किया। विपक्षी **अवधेश मंडल, पे0 - अर्जून मंडल, सा0-भिट्ठा, थाना - भवानीपुर (अकबरपुर), जिला - पूर्णियाँ** के विरूद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-03 के अन्तर्गत कार्रवाई करने हेतु साक्ष्य सहित प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत कर उसके अपराधिक गतिविधि के मद्देनजर, अपराधिक गतिविधियों पर रोक जारी रखने के लिए, ताकि लोक शान्ति एवं आसन्न विधान सभा निर्वाचन-2015 को शान्तिपूर्ण संपन्न कराने हेतु अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-03 के अन्तर्गत क्यों नहीं कार्रवाई की जाय के सम्बन्ध में कारण पृच्छा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। विपक्षी स्वयं उपस्थित हुए। इनके द्वारा कारणपृच्छा दाखिल की गयी। कारणपृच्छा में वर्णित है कि उपरोक्त वर्णित काण्डों में 08 काण्ड में न्यायालय द्वारा मुक्त किया गया है। शेष काण्डों में जमानत पर हूँ। परंतु इनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलतः कारणपृच्छा को असंतोषप्रद पाते हुए अस्वीकृत किया जाता है।

अपराधकर्मी को सुनने के बाद प्रतिवादी के आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मै संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2(डी)(1) के अंतर्गत ये ''**असामाजिक तत्व**'' है तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध है जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त है या लिप्त हो सकते है, जो भारतीय दंड विधान 1861 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर **अवधेश मंडल, पे0 - अर्जून मंडल, सा0- भिट्ठा, थाना - भवानीपुर (अकबरपुर), जिला - पूर्णिया** को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 की उप धारा-3 के अंतर्गत विधान सभा निर्वाचन 2015 की सम्पूर्ण प्रक्रिया अर्थात दिनांक 08.11.15 तक के लिए पूर्णियाँ जिला से **बेगुसराय** जिला के लिए जिला बदर किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के साथ

बेगुसराय जिला के बरौनी थाना में उपस्थित होकर प्रत्येक दिन 10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे अपराहन के बीच अपना उपस्थिति दर्ज करायेंगें। यदि वे दिनांक-05.11. 2015 को अपना मत का प्रयोग करना चाहेंगें तो उन्हें लिखित रूप से सूचना भवानीपुर थाना में, मतदान केन्द्र पर पहुँचने हेतु यात्र रूट, चलने का समय एवं वापसी का समय अंकित कर पूर्ण ब्यौरा समर्पित करना होगा तत्पश्चात् ही मतदान करने हेतु प्रस्थान करेंगें।

थानाध्यक्ष, बरौनी जिला **बेगुसराय** को निदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में पूर्णियाँ जिला से जिला बदर किये गये **अवधेश मंडल, पे० - अर्जून मंडल, सा०- भिट्ठा, थाना - भवानीपुर (अकबरपुर), जिला - पूर्णियाँ** के लिए एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज करवायेंगें तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ को भेजना सुनिश्चित करेगें।

आदेश की प्रति जिला दंडाधिकारी, **बेगुसराय** /पुलिस अधीक्षक, **बेगुसराय** / पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ/ थानाध्यक्ष, बरौनी /थानाध्यक्ष, भवानीपुर(अकबरपुर) को भेजें।

अवधेश मंडल को इस आदेश की प्रति तामिला कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु थानाध्यक्ष भवानीपुर(अकबरपुर) को भेजें।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ को पुलिस अधीक्षक, **बेगुसराय**/थानाध्यक्ष, भवानीपुर(अकबरपुर) को अपने स्तर से तामिला हेतु तथा पूर्णियाँ जिले के सभी थानाध्यक्षों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने संबंधी निदेश देने के लिए अग्रसरित करेंगें।

आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णियाँ एवं प्रभारी पदाधिकारी, **N.I.C.** पूर्णियाँ को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति पूर्णियाँ जिला के बेबसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

17/10/15

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णियाँ

17/10/15

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णियाँ

ज्ञापांक-2596/विधि, दिनांक-17.10.15

प्रतिलिपि :- जिला दण्डाधिकारी, **बेगुसराय** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ/ **बेगुसराय** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति संबंधित थानाध्यक्ष एवं अपराधकर्मी को अपने स्तर से तामिला कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, **N.I.C.** पूर्णियाँ को जिला के बेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णियाँ को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।

17/10/15

जिला दण्डाधिकारी
पूर्णिया